कॉरपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि उपयुक्त कॉरपोरेट अभिशासन विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन तक ही सीमित नहीं है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है, जिससे बैंक व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि करना।
- अन्य सभी हितधारकों, जैसे ग्राहक, कर्मचारी तथा समग्र समाज के हितों की रक्षा करना।
- संवाद में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को पूरी, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- निष्पादन तथा ग्राहक सेवा के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- उच्चतम स्तर का कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय एवं संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करे और बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टतः प्रलेखित पारदर्शी-प्रबंधन-प्रणालियां स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 और सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ संशोधन विनियम 2018 के अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल वे मामले अपवाद हैं, जहाँ इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कॉरपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड: भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955) से हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड एसबीआई अधिनियम और विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्यों को पूरा करता है और उससे अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। इसकी प्रमुख भूमिकाओं में अन्य बातों के अलावा,

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की देखरेख करना शामिल है;
- अपने व्यापार और नियंत्रण तंत्र की अखंडता की निगरानी;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- अपने हितधारकों के हितों को अधिकतम करना।

केंद्रीय बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष कर रहे हैं, जो एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ए) के तहत नियुक्त किए गए हैं; एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (बी) के तहत चार प्रबंध निदेशकों को भी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। 31 मार्च, 2020 तक बोर्ड में नौ अन्य निदेशक थे जो प्रौद्योगिकी, लेखा, वित्त, अर्थशास्त्र और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात पेशेवर हैं। 31 मार्च 2020 तक केंद्रीय बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी:

- धारा 19 (क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष,
- धारा 19 (ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चार प्रबंध निदेशक,
- धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक*,
- धारा 19 (ङ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी),
- और धारा 19 (च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी)।

*डॉ. पुष्पेंद्र राय को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नंबर 6/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.2020 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले है, के माध्यम से फिर से नामित किया गया था ।

निदेशक मंडल का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है जो इस हद तक प्रभावी है जहां तक वह एसबीआई अधिनियम 1955 की धारा 19 का उल्लंघन नहीं करता है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर - कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक - I में दिया गया है। विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की सोलह बैठकें हुई थीं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है ।

2019-20 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं	:	16
बैठकों की तारीखें	:	24.04.2019, 10.05.2019, 29.05.2019, 20.06.2019, 01.07.2019, 24.07.2019, 02.08.2019, 04.09.2019, 25.10.2019, 27.11.2019, 18.12.2019, 08.01.2020, 31.01.2020, 18.02.2020, 05.03.2020, 27.03.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष	16	16
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी- आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	16	16
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस	16	16
श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी	16	15
श्रीमती अंशुला कांत एमडी-एसएआरसी (31.08.2019 तक)	07	06
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी (20.01.2020 से प्रभावी)	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	16	16
श्री भास्कर प्रामाणिक	16	13
श्री बसंत सेठ	16	16
श्री बी. वेणुगोपाल	16	12
डॉ. गिरीश के आहूजा (05.02.2020 तक)	13	10
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2020 तक)*	13	13
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	16	16
श्री संजीव माहेश्वरी(20.12.2019 से प्रभावी)	05	05
श्री राजीव कुमार (08.08.2019 तक)	07	00
श्री रवि मित्तल (08.08.2019 से 24.01.2020 तक)	05	01
श्री देवाशीष पांडा (24.01.2020 से प्रभावी)	04	01
श्री चंदन सिन्हा	16	13

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है -

2019-20 के दौरान ईसीसीबी बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं : 52

क्र. सं	निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
1	श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष	52	50
2	श्री पी. के. गुप्ता, एमडी- आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	52	43
3	श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस	52	46
4	श्री अरिजित बसु, एमडी-सीसीजीएंडआईटी	52	48
5	श्रीमती अंशुला कांत -एमडी-एसएआरसी (31.08.2019 तक)	22	16
6	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी (20.01.2020 से प्रभावी)	09	08
7	श्री संजीव मल्होत्रा	52	40
8	श्री बी. वेणुगोपाल	52	37
9	श्री संजीव माहेश्वरी (20.12.2019 से प्रभावी)	14	09
10	श्री चंदन सिन्हा	52	34
निदेशक जो आम तौर पर बैठकों के स्थान के निवासी नहीं हैं, लेकिन उस दिन उस स्थान पर मौजूद थे जहां बैठक आयोजित की गई थी/वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया गया था:			
11	श्री भास्कर प्रामाणिक	-	29
12	श्री बसंत सेठ	-	05
13	डॉ. पुष्पेंद्र राय	-	17
14	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	-	14

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियाँ:

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियमों, 1955 और सरकार/आरबीआई/सेबी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के संदर्भ में, केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड की अन्य दस बोर्ड स्तरीय समितियां गठित की है। ये हैं- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारकों की संबंध समिति, बड़े मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, आईटी रणनीति समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, बोर्ड की निगरानी के लिए बोर्ड समिति और समिति का गठन किया है ताकि विलफुल डिफॉल्टरों/ गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा की जा सके । ये समितियां ऑडिट और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का समाधान, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा और ग्राहक शिकायतों के निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों, प्रोत्साहन का भुगतान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बोर्ड निरीक्षण में प्रभावी पेशेवर सहायता प्रदान करती हैं । कार्यकारी निदेशकों को प्रोत्साहन का भुगतान, ऋण और अग्रिमों की वसूली पर निगरानी, विलफुल डिफॉल्टरों/गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा और निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के उपयुक्त होने की स्थिति का पता लगाने के लिए समिति का गठन किया गया है। जबकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक आवश्यकता पड़ने पर वर्ष मे कम से कम एक बार होती है, अन्य समितियां केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षाओं के कैलेंडर के अनुसार नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और/या डोमेन प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए आम तौर पर एक तिमाही में एक बार बैठक करती हैं। जब भी जरूरत होती हैं, समितियां बैंक के शीर्ष अधिकारियों की सेवाओं पर ध्यान देने के अलावा बाहरी विशेषज्ञों को भी बुलाती हैं। नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन आवश्यक उचित परिश्रम करने और शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की फिट और उचित स्थिति पर पहुंचने के लिए किया जाता है और जरूरत पड़ने पर बैठक करता है । नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूरे समय के निदेशकों को प्रोत्साहन के भुगतान को भी मंजूरी देती है । समितियों की बैठकों में हुई चर्चाओं के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट वाले मिनटों और कार्यवाहियों को केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड (एसीबी) की ऑडिट कमेटी का गठन 27 जुलाई 1994 को और आखिरी बार 18 फरवरी 2020 को फिर से गठित किया गया था। एसीबी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और एलओडीआर संशोधन विनियमन 2018 के प्रावधानों का इस हद तक अनुपालन करती है कि वे आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

एसीबी के कार्य

क. एसीबी बैंक में कुल लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के संचालन की देखरेख के साथ-साथ निर्देश प्रदान करती है । समस्त लेखा परीक्षा कार्य का तात्पर्य बैंक के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण और सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा, आरबीआई निरीक्षण के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई से है । यह बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों की भी नियुक्ति करता है और समय-समय पर उनके प्रदर्शन की समीक्षा करता है ।

ख. एसीबी ने अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा नीतियों और लेखा नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा की।

ग. यही समिती बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिती निम्नलिखित के अनुवर्तन पर भी विशेष ध्यान देती है:

- के वाईसी-एएमएल दिशानिर्देश;
- हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र;
- सेबी का अनुपालन (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015; लेखा-परीक्षा समिती की कार्य प्रणाली और शर्तो की केंद्रीय समिती द्वारा 06.03.19 की बैठक मे सेबी (एलओडीआर) संशोधन विनियम 2018 के आधार पर समीक्षा की गई।

घ. यह बैंक में अनुपालन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त करता है और समीक्षा करता है।

ड. एसीबी ने बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत आरबीआई के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में उठाए गए सभी मुद्दों और सांविधिक लेखा परीक्षकों और अन्य आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की लंबी फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई की। यह वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत करता है । लेखा परीक्षा समिति के एक औपचारिक 'लेखा परीक्षा चार्टर' या 'विचारार्थ विषय' को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाने वाली समीक्षाओं का एक कैलेंडर भी लागू है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, अंतिम संशोधन 18 दिसंबर 2014 से प्रभावी होता है।

संरचना एवं 2019-20 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में 31.03.2020 को आठ सदस्य हैं, जिनमें दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा चार गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की तेरह बैठकें आयोजित की गईं।

2019-20 के दौरान आयोजित एसीबी बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं. : 13

बैठकों की तारीखें : 10.04.2019, 09.05.2019, 04.06.2019, 17.07.2019, 01.08.2019, 26.09.2019, 10.10.2019, 24.10.2019, 20.11.2019, 27.12.2019, 30.01.2020, 27.02.2020, 18.03.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री बसंत सेठ- 18.02.2020 से समिति के अध्यक्ष	13	12
डॉ. गिरीश के आहूजा - समिति के अध्यक्ष (05.02.2020 तक)	11	08
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी-आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	13	10
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (25.10.2019 से प्रभावी)	05	04
श्री अरिजित बसु-एमडी (सीसीजी एंड आईटी) (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	04
श्रीमती अंशुला कांत- एमडी-एसएआरसी- (31.08.2019 तक)	05	05
श्री भास्कर प्रामाणिक	13	08
श्री बी. वेणुगोपाल	13	12
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (29.05.2019 से प्रभावी एवं 18.02.2020 तक)	09	05
श्री संजीव माहेश्वरी (18.02.2020 से प्रभावी)	02	01
श्री राजीव कुमार (08.08.2019 तक)	05	00
श्री रवि मित्तल (08.08.2019 से प्रभावी एवं 24.01.2020 तक)	05	01
श्री देवाशीष पांडा (24.01.2020 से प्रभावी)	03	01
श्री चंदन सिन्हा	13	12

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम के लिए समन्वित जोखिम प्रबंधम नीति और कार्यनीति करने हेतु गठित की गई है। समिति का पुनर्गठन पिछली बार 18 फरवरी 2020 को किया गया था। गैर-कार्यकारी निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं और इसमें सात सदस्य हैं। (आरएमसीबी) की बैठक एक साल में कम से कम चार बार होती है, प्रत्येक तिमाही में एक बार। 2019-20 के दौरान आरएमसीबी की सात बैठकें हुईं। आरएमसीबी की कार्यप्रणाली और शर्तों की बैठक मे सेबी (एलओडीआर) संशोधन विनियम 2018 के आधार पर समीक्षा की गई जो 01 अप्रैल 2019 से लागू हुआ।

2019-20 के दौरान आयोजित आरएमसीबी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं. : 7

बैठकों की तारीखें : 12.06.2019, 18.06.2019, 11.09.2019, 15.11.2019, 26.12.2019, 17.02.2020, 26.03.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री संजीव मल्होत्रा- समिति के अध्यक्ष	07	07
श्री पी के गुप्ता, एमडी-आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	07	05
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	03
श्री अरिजित बसु-एमडी (सीसीजी एंड आईटी) (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	01
श्री अरिजित बसु-एमडी (सीसीजी एंड आईटी) (25.10.2019 से प्रभावी)	04	04
श्रीमती अंशुला कांत - एमडी - एसएआरसी (31.08.2019 तक)	02	01
श्री भास्कर प्रामाणिक	07	05
श्री बसंत सेठ	07	06
श्री बी. वेणुगोपाल	07	07
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2020 तक)*	05	05
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता (18.02.2020 से प्रभावी)	01	00

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

हितधारक संबंध समिति

सेबी के विनियमन 20 (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के अनुपालन में, हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी) (जिसे पहले शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के रूप में जाना जाता था) बोर्ड (एसआईजीसीबी) का गठन किया गया था, जो शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, बांड/घोषित लाभांश आदि पर ब्याज प्राप्त न करने के संबंध में शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों की जांच करने के लिए बनाया गया था । समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को किया गया था और इसमें छह सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की संरचना और उसकी भूमिका सेबी विनियमों का अनुपालन करती है। समिति ने 2019-20 के दौरान तीन बार बैठक की और शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की। एसआरसी की शर्तों में परिवर्तन 06.03.2019 को सेबी (एलओडीआर) संशोधन विनियम 2018 के आधार पर किया गया जो 01 अप्रैल 2019 से लागू हुआ।

2019-20 के दौरान आयोजित एसआरसी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं. : 3

बैठकों की तारीखें : 18.04.2019, 17.07.2019, 16.10.2019

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री संजीव मल्होत्रा, समिति के अध्यक्ष (18.02.2020 से)	03	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय - समिति के अध्यक्ष(05.02.2020 तक)*	03	03
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	03	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (25.10.2019 से 18.02.2020 तक)	00	00
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य)	--	01
श्रीमती अंशुला कान्त, एमडी-एसएआरस (31.08.2019 तक)	02	02
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी (18.02.2020 से)	00	00
श्री बी.वेणुगोपाल	03	02
डॉ. गिरीश के. आहूजा (05.02.2020 तक)	03	02
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	03	02
श्री संजीव माहेश्वरी (18.02.2020 तक)	00	00

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

अब तक प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान)	:	193
शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार हल नहीं किए गएशिकायतों की संख्या	:	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्याः (विचाराधीन शिकायत)	:	शून्य
अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम	:	श्री संजय अभ्यंकर, उपाध्यक्ष अनुपालन (कंपनी सचिव)

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था।

इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का प्रयोजन है - प्रणालीगत खामियों (हों तो) तथा धोखाधड़ी के मामलों का और ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय लागू कराना। समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को किया गया था और इसमें सात सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की बैठक 2019-20 के दौरान छह बार हुईः

2019-20 के दौरान आयोजित एससीबीएमएफ़ बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं. : 6

बैठकों की तारीखें : 22.05.2019, 28.08.2019, 31.10.2019, 06.11.2019, 20.01.2020, 27.03.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री बसंत सेठ, समिति के अध्यक्ष	06	06
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	06	05
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक)	--	01
श्री अरिजित बसु - एमडी (सीसीजी एड आईटी) (25.10.2019 से)	04	03
श्रीमती अंशुला कांत, एमडी - सार्क (31.08.2019 तक)	02	02
श्री संजीव मल्होत्रा	06	04
श्री भास्कर प्रामाणिक	06	03
श्री बी.वेणुगोपाल (18.02.2020 तक)	05	03
डॉ.गिरीश के. आहूजा (05.02.2020 तक)	05	04
डॉ.पुष्पेंद्र राय (05.02.2020 तक)*	05	02
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता(18.02.2020 तक)	01	01
श्री संजीव माहेश्वरी (18.02.2020 तक)	01	01

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर आधार पर चल रहे सुधारों को लाने के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था।

समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को किया गया था और इसमें आठ सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की चार बैठकें हुई।

2019-20 के दौरान आयोजित सीएससीबी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं. : 4

बैठकों की तारीखें : 15.05.2019, 22.08.2019, 04.12.2019, 07.02.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री बी.वेणुगोपाल, समिति के अध्यक्ष (18.02.2020 तक)	00	00
डॉ.पुष्पेंद्र राय, समिति के अध्यक्ष (05.02.2020 तक)*	03	03
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी (31.03.2020 तक)	04	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य)	--	01
श्री अरिजित बसु - एमडी (सीसीजी एंड आईटी)	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	02
श्री भास्कर प्रामाणिक	04	04
श्री बसंत सेठ	04	03
डॉ गिरीश के. आहूजा (05.02.2020 तक)	03	03
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	04	04
श्री संजीव माहेश्वरी (18.02.2020 से)	00	00

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति

बैंक की आईटी पहलों की प्रगति पर नजर रखने के उद्देश्य से बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की एक प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया। प्रौद्योगिकी समिति को 24 अक्टूबर 2011 से बोर्ड की आईटी रणनीति समिति का नाम दिया गया है। समिति ने बैंक के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रणनीतिक भूमिका निभाई है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का जिम्मा सौंपा गया है:

(i) आईटी रणनीति और नीतिगत दस्तावेजों को मंजूरी देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक संरचना व्यापार मॉडल और इसकी दिशा का पूरक है;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिमों और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और बजट स्वीकार्य हैं;

(iv) आईटी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और बैंक स्तर पर आईटी के कुल वित्तपोषण की देखरेख करना; और

(v) आईटी प्रदर्शन माप और व्यवसायों के लिए आईटी के योगदान की समीक्षा (यानी वादा किया मूल्य देने)।

इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को सात सदस्यों के साथ किया गया था और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की बैठक 2019-20 के दौरान छह बार हुई।

2019-20 के दौरान आयोजित आईटीएससी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं.	:	6
बैठकों की तारीखें	:	15.05.2019, 26.06.2019, 18.09.2019, 14.11.2019, 19.11.2019, 13.02.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री भास्कर प्रामाणिक, समिति के अध्यक्ष	06	06
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी (31.03.2020 तक) (वैकल्पिक सदस्य)	--	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (वैकल्पिक सदस्य)	--	02
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-जीबीएंडएस (25.10.2019 से)	03	02
श्री अरिजित बसु - एमडी (सीसीजी एड आईटी)	06	06
श्रीमती अंशुला कांत, एमडी - सार्क (31.08.2019 तक)	02	01
श्री संजीव मल्होत्रा	06	03
श्री बी.वेणुगोपाल	06	04
डॉ.पुष्पेंद्र राय (05.02.2020 तक)*	05	03
डॉ.पूर्णिमा गुप्ता	06	04
श्री संजीव माहेश्वरी (18.02.2020 से)	00	00

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के तहत बैंक द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की समीक्षा के लिए अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उपाय के रूप में 24 सितंबर 2014 को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी (सीएसआरसी) का गठन किया गया था। इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को किया गया था और इसमें सात सदस्य हैं। समिति में वरिष्ठ प्रबंध निदेशक अध्यक्ष हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान समिति की चार बैठकें हुई।

2019-20 के दौरान आयोजित सीएसआरसी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की सं.	:	4
बैठकों की तारीखें	:	03.04.2019, 10.07.2019, 16.10.2019, 15.01.2020

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद /पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए हुए बैठकों की सं.
श्री पी. के. गुप्ता, एमडी - आरएंडडीबी , समिति के अध्यक्ष (31.03.2020 तक)	04	03
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी- जीबीएंडएस	04	04
श्री अरिजित बसु, एमडी- सीसीजी एंड आईटी (वैकल्पिक सदस्य)	--	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री भास्कर प्रामाणिक	04	02
श्री बसंत सेठ	04	04
श्री बी.वेणुगोपाल	04	04
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2020 तक)*	04	03
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	04	04

*भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.नं. 06/19/2019-बीओ-आई दिनांक 29.04.20 द्वारा 05.02.2020 के बाद दो वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पुनः निदेशक नामित

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आरबीआई ने अपने मास्टर डायरेक्शन डीबीआर एपीपीटी सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 और भारत सरकार ने अपने पत्र फा.संख्या एफ 16/19/2019-बो दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक को एकल नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार एकल समिति का गठन 25 अक्तूबर 2019 को किया गया।

समिति का अंतिम पुनर्गठन 27 मार्च 2020 को किया गया था। समिति में चार सदस्य हैं जिनमें गैर कार्यकारी निदेशक- श्री बसंत सेठ, श्री संजीव मल्होत्रा, डॉ पूर्णिमा गुप्ता और श्री संजीव माहेश्वरी शामिल हैं। समिति पूर्णकालिक निदेशकों की जांच करती है और प्रोत्साहनों के भुगतान की सिफारिश करती है। यह शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की सावधानीपूर्वक जाँच करती है और उपयुक्त एवं समुचित का प्रमाणपत्र जारी करती है। समिति वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य बैठक करती है।

वसूली निगरानी के लिए बोर्ड समिति

भारत सरकार की सलाहों के संदर्भ में, केंद्रीय बोर्ड द्वारा ऋण और अग्रिमों की वसूली पर निगरानी के लिए 20 दिसंबर 2012 को हुई बैठक में वसूली की निगरानी के लिए एक बोर्ड समिति का गठन किया गया था। समिति का अंतिम पुनर्गठन 18 फरवरी 2020 को किया गया था, जिसमें दस सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और पांच गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जिनमें सरकार नामित निदेशक शामिल हैं। समिति ने साल भर में चार बार बैठक कर बैंक के एनपीए प्रबंधन और बड़े एनपीए खातों की समीक्षा की।

इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने समिति का गठन किया था। प्रबंध निदेशक-एसए इस समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पांच गैर-कार्यकारी निदेशक हैं । इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए गठित समिति (एक ऐसी समिति, जिसमें उप प्रबंध निदेशक और बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणी के बयान की पड़ताल और बयान को दर्ज करती है) के आदेश की समीक्षा करके आदेश को अंतिम समझे जाने के रूप में पुष्टि करती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान दो बार समिति की बैठक हुई

स्थानीय बोर्ड

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के संदर्भ में, प्रत्येक केंद्र में जहां बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) है, स्थानीय बोर्डों/समितियों का गठन होता है। स्थानीय बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित ऐसे अन्य कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं । 31 मार्च 2020 तक, शेष तेरह एलएचओ में स्थानीय बोर्डों के तीन एलएचओ और समितियों में स्थानीय बोर्ड कार्यशील थे। स्थानीय बोर्डों के स्थानीय बोर्डों/समितियों की बैठकों के मिनट और कार्यवाही को केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

बैठक-शुल्क

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क का भुगतान बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यकारी निदेशकों को किया जाता है । बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक गैर-कार्यकारी निदेशकों को नहीं दिया जाता है । 25 अक्टूबर 2019 से, केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 70,000 रुपये की बैठक की फीस और अन्य बोर्ड स्तर की समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए 30,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान की गई बैठक की फीस का विवरण अनुलग्नक-4 में रखा गया है।

बैंक की सदाचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के निदेशकों ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है । अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V में रखी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है।

वर्ष के दौरान गतिविधियाँ

1. इस वर्ष के दौरान नव मनोनीत निदेशकों के लिए ऑन-बोर्डिंग कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी । इसमें, अन्य बातों के साथ, संगठन संरचनाओं, बैंक के विभिन्न व्यापारिक समूहों और एसोसिएट्स और सहायक कंपनियों का अवलोकन, आईटी विकास, आईटी सुरक्षा, मानव संसाधन और प्रशिक्षण आदि शामिल थे ।

2. बोर्ड का प्रदर्शन मूल्यांकन: बोर्ड के अभिशासन में लगातार सुधार करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने एक प्रतिष्ठित बाहरी परामर्श संगठन को नियुक्त किया है, जिसने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तर की समितियों और केंद्रीय बोर्ड के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मापदंडों को निर्धारित करने में सहायता की है और समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता की है। मूल्यांकन के मापदंडों और समग्र प्रक्रिया को बोर्ड मूल्यांकन, 2017 पर सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और नए सेबी मार्गदर्शन नोट के प्रावधानों के अनुरूप किया गया था। वित्त वर्ष 2019-20 के प्रदर्शन मूल्यांकन को वित्त वर्ष के दौरान ही पूरा किया गया।

   मूल्यांकन प्रक्रिया ने बैंक के शासन मूल्यों में निदेशक मंडल के विश्वास, निदेशक मंडल के बीच मौजूद तालमेल और अध्यक्ष, बोर्ड और प्रबंधन के बीच सहयोग को मान्य किया ।

3. शासन और अर्थव्यवस्था में हमारे बैंक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में बैंकों के बोर्डों में तेजी से रखी जा रही विभिन्न मांगों को देखते हुए, 6 और 7 जनवरी, 2020 को मुंबई में एक वार्षिक रणनीति कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें प्रतिष्ठित फिनटेक कंपनियों ने अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों पर प्रस्तुतियां दी थीं। उक्त कार्यशाला आयोजन बोर्ड के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन को उद्योग में नवीनतम प्रवृत्ति के अनुरूप रखने और आगे के रास्ते पर निर्णय लेने की बैंक की रणनीति के अनुरूप किया गया था ।

कार्यशाला का विषय बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रभावशीलता थी । कार्यशाला में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था, वे अर्थात क) साइबर सुरक्षा के विकासशील आयाम और साइबर जोखिम के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की संभावना। ख) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन - मोबाइल ऐप सुरक्षा, निधियों का विपथन रोकथाम। ग) प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोखिम प्रबंधन को सशक्त बनाना। घ) तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन - तनाव का समय पर पता लगाना, प्रभावी समाधान। ङ) धीमी गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बैलेंस शीट अनुकूलन। च) व्यवसाय संभाव्यता का पता लगाने मे एनालिटिक्स के अनुप्रयोग छ) डेटा इंटेलिजेंस, डेटा और एनालिटिक्स समाधान।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्रेडिट डिलीवरी, सूचना सुरक्षा आदि के क्षेत्रों में बेहतर समझ के साथ निदेशकों को अद्यतन रखने के प्रयास में, बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की:

i) गैर कार्यकारी निदेशकों के लिए सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग सीएएफआरएएल द्वारा गोवा में 14-15 अक्टूबर 2019 तथा मुंबई में 05-06 फरवरी 2020 को क्रेडिट समिति पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निदेशकों को ऋण मूल्यांकन, वित्तीय अनुपात और संकेतकों, परियोजना और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में जोखिम आकलन, खुदरा ऋण आदि से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करना था ।

ii) इसी तरह आईडीआरबीटी द्वारा आईटी और साइबर सिक्योरिटी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें दो गैर कार्यकारी निदेशकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रबंधन को बैंक की साइबर सुरक्षा रणनीति की योजना बनाने और निष्पादन में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाना था।

iii) समय-समय पर उभरने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रख्यात क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने की परंपरा के अनुरूप, वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई) और इसके दृष्टिकोण पर एक प्रस्तुति 18 सितंबर 2019 को लियास फोरस द्वारा की गई थी।

01 अक्टूबर 2019 को बोर्ड को एनबीएफसी-ट्रेंड्स एंड रिस्क असेसमेंट के एक्सपोजर पर प्रस्तुति दी गई थी। रियल एस्टेट डेवलपर फाइनेंसिंग पर प्रस्तुति वाणिज्यिक ग्राहक समूह द्वारा 12 जून 2019 को आरएमसीबी के समक्ष की गई थी।

आईएल एंड एफएस (आई-फिन) सहित एनबीएफसी पर बैंक के एक्सपोजर पर प्रस्तुति वाणिज्यिक ग्राहक समूह द्वारा 12 जून 2019 को आरएमसीबी के समक्ष की गई थी।

आईएल एंड एफएस (आई-फिन) सहित एनबीएफसी पर बैंक के एक्सपोजर पर प्रस्तुति वाणिज्यिक ग्राहक समूह द्वारा 12 जून 2019 को आरएमसीबी के समक्ष की गई थी।

एसबीआई एमएफ द्वारा 12 जून 2019 को आरएमसीबी के समक्ष एमएमसीबी और 11 सितंबर 2019 को आरएफबी के समक्ष एमएमएफ सेक्टर्स क्रेडिट फंड संभाव्यता पर विशेष रूप से एनबीएफसी सेक्टर और एमएफ इंडस्ट्री एलएएस पोर्टफोलियो बकाया/इंडस्ट्री एसओ पोर्टफोलियो पर प्रस्तुति दी गई थी।

स्ट्रेस्ड एसेट्स रिजॉल्यूशन ग्रुप (एसएआरजी) द्वारा 15 नवंबर 2019 को आरएमसीबी के समक्ष वित्तीय परिसंपत्तियों और सुरक्षा प्राप्तियों (एसआर) की बिक्री पर प्रस्तुति दी गई थी।

एसएमई बिजनेस यूनिट द्वारा 15 नवंबर 2019 को आरएमसीबी के समक्ष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) पर प्रस्तुति दी गई थी।

19 नवंबर 2019 को आईटीसी के समक्ष रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) पर प्रस्तुति दी गई थी।

मूल्य संवर्धन के लिए डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाने पर प्रस्तुति डीएमडी और सीआईओ द्वारा 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष की गई थी।

डीएमडी एंड सीआईओ द्वारा 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष सीबीएस संस्करण 2.0 पर प्रस्तुति दी गई थी।

डीएमडी एंड सीआईओ द्वारा 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष नेटवर्किंग और एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पर प्रस्तुति दी गई थी।

डीएमडी और सीआईओ द्वारा 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर पर प्रस्तुति दी गई थी।

अर्ली वार्निंग सिस्टम पर प्रस्तुति- कॉर्पोरेट, एसएमई ग्राहकों और पी-सेगमेंट ग्राहकों के लिए डीएमडी और सीआईओ द्वारा 18 फरवरी 2020 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष किया गया था।

डीएमडी और सीआईओ द्वारा 18 फरवरी 2020 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष आईटी वेंडर कंसंट्रेशन रिस्क पर प्रस्तुति दी गई थी।

डीएमडी और सीओओ द्वारा 18 फरवरी 2020 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए पहलों पर प्रस्तुति दी गई थी।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त वेतन एवं भत्ते (रु.)

नाम	पीएफ़ सूचकांक	मूल वेतन	मभ	अन्य	कुल	टिप्पणी
अध्यक्ष						
रजनीश कुमार	7619901	2700000	425250	1000	3126250	
प्रबंध निदेशक						
प्रवीण कुमार गुप्ता	7619715	2614800	411831	1105753	4132384	रु.1,104,753.00 मार्च 2020 के महीने में सेवानिवृत्ति पर भुगतान किया गया लीव एंकैशमेंट है। यह राशि अन्य में शामिल है।
दिनेश कुमार खारा	8702764	2539200	399924	1000	2940124	
अरिजित बसु	7847890	2464800	388206	1000	2854006	
अंशुला कांत	7848420	1027000	123240		1150240	प्रदान की गई वेतन विवरण अवधि - 01.04.2019 से 31.08.2019 तक हैं।
चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	8598630	490309.68	83352.65	1000	574662.33	प्रदान की गई वेतन विवरण अवधि - 20.01.2020 से 31.03.2020 तक है।

वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति

वर्ष 2018-19 की अंतिम वार्षिक आम सभा (एजीएम) में 20 जून, 2019 को आयोजित बैठक में आठ निदेशको श्री रजनीश कुमार, श्री पीके गुप्ता, श्री दिनेश कुमार खारा, श्री अरिजीत बसु, श्रीमती अंशुला कांत, श्री भास्कर प्रामाणिक, डॉ पुष्पेंद्र राय और डॉ पूर्णिमा गुप्ता ने भाग लिया। एजीएम (2017-18) का आयोजन 28 जून, 2018 को और एजीएम (2016-17) का आयोजन 27 जून, 2017 को किया गया था। एसबीआई एक्ट और एसबीआई जनरल रेगुलेशन 1955 में पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं है। वार्षिक साधारण बैठक सामान्यतया मुंबई में आयोजित किए जाते हैं जहां कॉरपोरेट कार्यालय स्थित है। एसबीआई अधिनियम के अनुसार केवल एक एजेंडा तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते पर वार्षिक साधारण बैठक में चर्चा तथा अंगीकृत किया जाना आवश्यक है।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रोमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ किसी भी भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, जिससे बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है ।

2. बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान शेयर बाजारों, सेबी, आरबीआई या पूंजी बाजारों से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों का पालन किया है। उनके द्वारा बैंक पर कोई दंड या सख्ती नहीं लगाई गई है। सिवाय आरबीआई द्वारा लगाए गए जुमाने के जिसका उल्लेख सचिवालयीन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

3. बैंक की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी भारत सरकार के प्रस्ताव ऑन पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फार्मर (पीआईडीपीआई) के मानदंडों पर आधारित है। जो भारत सरकार के 04.11.2011 के परिपत्र के आधार पर लागू किया गया है। इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 'व्हिसल ब्लोअर नीति' नामक नीति की स्थापना का अनुदेश देता है जो बैंक की आचरण नीति के उल्लंघन या धोखाधड़ी की सूचना प्रबंधन को देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 11.03.2019 के अपने पत्र के माध्यम से बैंक को सलाह दी है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप मौजूदा व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म को संशोधित करे और बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 35 (ए) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों और तदनुसार मौजूदा नीति को प्रतिस्थापित और अधिक्रमित करें। 27.11.2019 को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई नीति को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त नीति के अनुसार किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंचने से मना नहीं किया गया है।

4. संबद्ध पक्ष लेनदेन के महत्व संबंधी नाति और महत्वपूर्ण अनुषंगी निर्धारण नीति बैंक की वेबसाईट www.sbi.co.in/bank.sbi कॉरपोरेट अभिशासन नीतियां लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

5. सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियमन 25 (9) के संदर्भ में 28-05.2020 को हुई बैठक में केंद्रीय बोर्ड ने अपनी बैठक में सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियमन 25 (8) के तहत स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणा और पुष्टि को रिकॉर्ड पर लिया है और स्वतंत्र निदेशक सेबी (एल) विनियमों के विनियमन 16 (1) (बी) विनियमों के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

6. सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची II के भाग ई में निर्दिष्ट विवेकाधीन आवश्यकताएं इस प्रकार हैं- (i) बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19 (ए) के तहत नियुक्त किया गया है। (ii) निवेशकों/विश्लेषकों की जानकारी के लिए बैंक तिमाही आधार पर वित्तीय प्रदर्शन की प्रस्तुति तैयार करता है और इसकी प्रति निवेशकों की जानकारी के लिए स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करता है जो बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। (iii) बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को एक घोषणा प्रस्तुत की है कि बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए असंशोधित राय के साथ लेखा परीक्षा वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है । (iv) बैंक के पास अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो समय-समय पर बैंक की लेखा परीक्षा समिति को सीधे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

7. बैंक ने विनियमन 17 से 27 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं और विनियम 46 (2) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई के खंड

(बी) को इस हद तक अनुपालन किया है कि खंड की आवश्यकताएं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों या निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

संप्रेषण के साधन

बैंक का दृढ़ विश्वास है कि सभी हितधारकों को अपनी गतिविधियों, प्रदर्शन और उत्पाद पहलों के बारे में पूरी जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए । वर्ष 2019-20 के बैंक के वार्षिक, छमाही और त्रैमासिक परिणाम देश के अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in या https://bank.sbi पर भी प्रदर्शित किए गए । पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है या तो बैंक के साथ या जमाकर्ताओं के साथ और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति अन्य शेयरधारकों को भेजी जाती है । बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों का विश्लेषण भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रति वर्ष वार्षिक और छमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति और मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है।

साधारण शेयरधारक सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक	:	दिनांकः 14.07.2020, समय 11.00 a.m. स्थानः स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई- 400021 वीसी/ओएवीएम द्वारा बैठक आयोजित करने के विकल्प के साथ
वित्तीय कैलेंडर	:	01.04.2019 to 31.03.2020
स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग	:	बीएसई लिमिटेड मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई), सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड (बांड) पर सूचीबद्ध जीडीआरएस। एलएसई सहित सभी स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टिंग फीस का भुगतान अद्यतन तारीख तक किया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	:	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर ट्रांसफर सिस्टम	:	शेयर ट्रांसफर सिस्टमः भौतिक रूप में शेयर हस्तांतरण की प्रक्रिया की जाती है और निर्धारित समय के भीतर शेयरधारकों को वापस कर दिया जाता है। तिमाही शेयर ट्रांसफर ऑडिट और शेयर कैपिटल ऑडिट का सामंजस्य नियमित रूप से एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है। हालांकि सेबी ने 1 अप्रैल, 2019 से शेयरों के भौतिक ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।
रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (मौजूदा)	:	मेसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड .
यूनिट पता	:	205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, ई/7, झंडेवालान एक्स्टेंसन, नई दिल्ली-110055
फोन नंबर	:	011-42541234, 7290071335
ईमेल पता	:	sbi.igr@alankit.com
पत्राचार के लिए पता	:	एसबीआई शेयर्स एंड बोण्ड्स विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, 14 तल मैडम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021
टेलीफोन नंबर	:	(022) 2274 0841 to 2274 0848
फैक्स	:	(022) 2285 5348
ईमेल पता	:	gm.snb@sbi.co.in / investor.complaints@sbi.co.in
पूर्ण संपर्क विवरण के साथ डिबेंचर ट्रस्टियों का नाम (रु. में जारी कैपिटल इन्स्ट्रुमेंट)	:	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल, 17, आर. कामानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001 फोन नंबरः 91-22-4080 7006 फैक्स नंबरः 91-22-6631 1776

पहलः सेबी परिपत्र संख्या के अनुसार सेबी/हो/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, एलओडीआर के विनियम 36 (1) (ख) और (सी) और विनियमन 58 (1) (बी) और (सी) की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाएगा और इसलिए वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अपने पंजीकृत मेल पते पर शेयरधारकों को भेजी जाएगी। इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट हमारी वेबसाइट www.sbi.co.in >>>>>>>>>>>>>>>>शेयरधारक जानकारी से डाउनलोड की जा सकती है ।

निवेशकों के लिए

निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक में मुंबई में एक संपूर्ण शेयर एवं बॉन्ड विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रासफर कार्यालय के माध्यम से, तत्काल निपटाई जाती हैं एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम के विनियम 44(5) के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही का वनवे लाईव वेबकास्ट करता हैं । वेबकास्ट की सुविधा 11.00 बजे से दिनांक 14.07.2020 को शेयरधारकों को https://www.evoting.nsdl.com/ https://bank.sbi पर उपलब्ध होगी। कोविड-19 महामारी के प्रसार, सोशल डिस्टेंसिंग और देश में बाधित गतिशीलता के कारण बैंक ने आमसभा वी सी /ओ ए वी एम के माध्यम से कराने तथा बैंक के शेयर धारकों को ई-वोटिंग सुविधा देने का निर्णय लिया है।

वित्त वर्ष 2020 के दौरान पूंजी वृद्धि

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कोई इक्विटी कैपिटल नहीं बढ़ाई गई थी।

बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)

1996 में जीडीआर जारी करने के समय सरकार/आरबीआई द्वारा दो तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी, यानी जीडीआर के धारक ने भारतीय कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयर प्राप्त करने की इच्छा जताई तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयरों में परिवर्तित किया जाना था, लेकिन इसके विपरीत नहीं। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एडीएम/जीडीआरएस की दो तरफा समरूपता की अनुमति दी गई बैंक ने बैंक के जीडीआर कार्यक्रम में दो तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

बैंक के पास 31 मार्च 2020 तक 1,10,342,880 जीडीआर थे जो शेयर1,103,428,800 का प्रतिनिधित्व करते थे

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयर धारकों की संख्या	988	2,37,760
जोड़ें - वर्ष के दौरान जोड़े गए शेयरधारकों की संख्या	1	140
जोड़ें - e-SBBJ के शेयर तथा वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	144	16,954
योग	**1133**	**2,54,854**
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	6	1,022
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	6	1,022
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1127	2,53,832

इस के दावा रहित शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक रोक लगी रहेगी जबतक इन शेयरों के वास्तविक स्वामी दावा प्रस्तुत नहीं कर देते।

लाभांश की परंपरा/ लाभांश वितरण नीति

शेयरधारकों की लाभांश वितरण नीति लागू है। यह नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in के लिंक Corporate Governance > Policies के अंतर्गत उपलब्ध है।

डेरिवेटिव लेनदेन पर गुणात्मक प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2019-20

बैंक वर्तमान में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव के साथ-साथ ब्याज दर वायदा और एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव में भी सौदों करता है । बैंक द्वारा निपटाए गए ब्याज दर डेरिवेटिव रुपये ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कैप, फ्लोर और कॉलर हैं । बैंक द्वारा निपटाए गए मुद्रा डेरिवेटिव मुद्रा स्वैप, रुपये डॉलर के विकल्प और क्रॉस-करेंसी विकल्प हैं। उत्पादों को बैंक के ग्राहकों को अपने जोखिम से बचाव के लिए इसकी पेशकश कर रहे है और इस तरह के जोखिम को कवर करने के लिए बैंक भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश करती है । डेरिवेटिव का उपयोग बैंक द्वारा ट्रेडिंग के साथ-साथ बैलेंस शीट के मदों के हेजिंग करने दोनों के लिए किया जाता है। बैंक यूएसडी/ आईएनआर में विकल्प की स्थिति भी चलाता है, जिसे विभिन्न प्रकार की हानि सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है ।

डेरीवेटिव लेन-देन में बाजार जोखिम होता है यानी ब्याज दरों/विनिमय दरों और ऋण जोखिम में प्रतिकूल गतिशीलता के परिणामस्वरूप बैंक को संभावित नुकसान उठाना पड़ सकता है अर्थात यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो बैंक को संभावित नुकसान उठाना पड़ सकता है । बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की ठडेरिवेटिव के लिए नीतिड में डेरिवेटिव लेनदेन में प्रवेश करने के लिए बाजार जोखिम मापदंडों (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लॉस ट्रिगर, ओपन पोजीशन सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01 आदि) के साथ-साथ ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, संबंध की अवधि, सीमा और ग्राहक उपयुक्तता और उपयुक्तता नीति (सीएएस) आदि निर्धारित की गई है । क्रेडिट जोखिम को केवल नीति में निर्धारित मानदंडों को संतुष्ट करने वाले प्रतिपक्षों के साथ व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करके नियंत्रित किया जाता है। दायित्वों का सम्मान करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षों के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए समझौते में प्रवेश करता है।

डेरीवेटिव सौदों में केवल उन्हीं इंटरबैंक प्रतिभागियों के साथ किया जाता है जिनके लिए प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की जाती है। इसी प्रकार, डेरीवेटिव सौदे केवल उन्हीं कंपनियों के साथ किए जाते हैं जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की जाती है। जमानत की आवश्यकताएं ऋण स्वीकृति प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की देखरेख करती है। बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़े बाजार जोखिम की निगरानी करता है, इन जोखिमों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने में एल्को की सहायता करता है और नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीति नुस्खे के अनुपालन की रिपोर्ट करता है ।

डेरिवेटिव्स के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक तैयार की गई है, जिसका ब्योरा अनुसूची 17: वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रिंसिपल अकाउंटिंग पॉलिसी (पीएपी) के तहत पेश किया गया है ।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम 2018 (सूचीकरण विनियम) के अंतर्गत

1. बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने पिछली बार बोर्ड स्तर की समितियों का पुनर्गठन किया था, जिसमें लेखा परीक्षा, हितधारकों के संबंध, जोखिम प्रबंधन की बैठक क्रमशः 18.02-2020 को हुई थी और 27.03.2020 को सेबी (एलओडीआर) विनियमों के संदर्भ में आयोजित बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें हुई थीं।
2. लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 24ए के संदर्भ में वित्तीय वर्ष के लिए एक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट समाप्त 31.03.2020 वार्षिक रिपोर्ट के लिए संलग्न है.
3. सभी ऋण साधनों के लिए प्राप्त क्रेडिट रेटिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
4. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने तरजीही आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से पूंजी नहीं जुटाई है। इसलिए जरूरत के मुताबिक राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।
5. बैंक ने विनियमों के विनियमन 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और बैंक के किसी भी निदेशक को किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने से वर्जित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है । (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)
6. स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदान किए गए परिचित कार्यक्रमों के विवरण वेब लिंक के तहत बैंक की वेबसाइट पर प्रकट किया जाता है: https://sbi.co.in/por tal/ web/corporate-governance/regulatory-disclosures.
7. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मौजूदा सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) को दी गई कुल फीस अनुसूची V पैरा सी के अनुसार, लिस्टिंग विनियमों का खंड 10 (के) केवल ₹ 676,86,528.20 है।
8. हमारेबोर्ड सदस्यों के बीच कोई संबंध नही है। बैंक का किसी गैर कार्यकारी निदेशक से धन संबंधी संबंध नही हैं।

शेयर-कीमत में उतार चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स/ एनएसई निफ्टी में उतार चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2020 को बीएसई सेंसेक्स तथा एनएसई में बाजार पूंजीकरण भार 1.78% रहा।

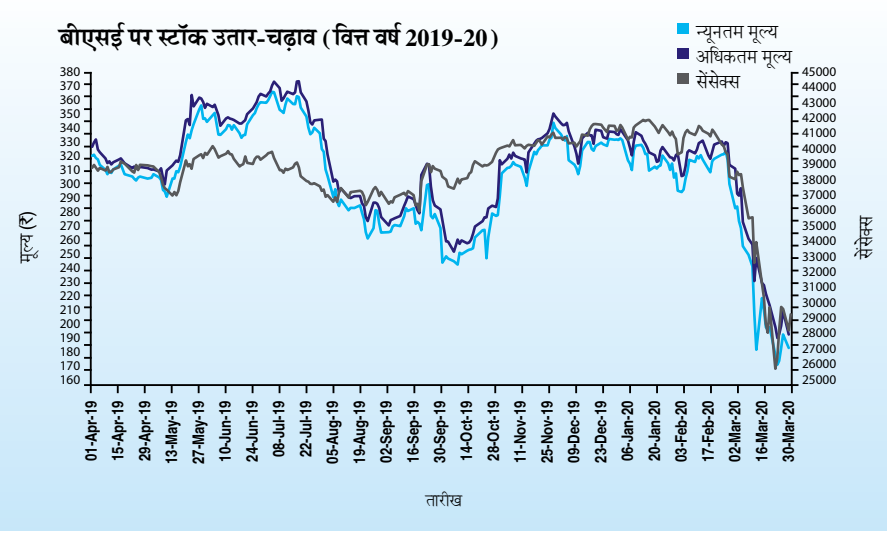

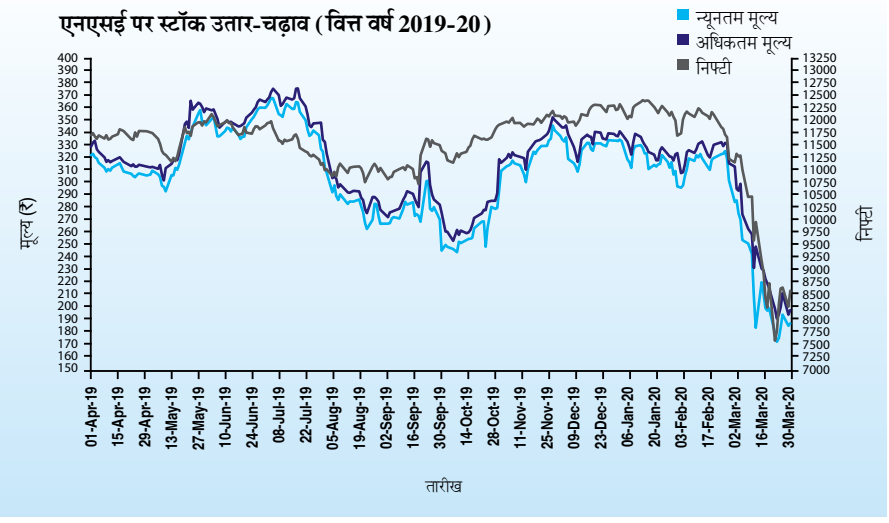

बाजार मूल्य आंकड़े

माह	बीएसई (₹)		एनएसई (₹)		एलएसई (जीडीआर) US$	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-19	332.65	303.60	332.45	303.60	47.80	43.65
मई-19	364.00	292.20	364.00	292.45	51.10	42.65
जून-19	364.85	333.75	365.00	333.80	52.30	48.00
जुलाई-19	373.30	323.90	373.80	323.90	54.00	47.30
अगस्त-19	331.55	262.70	331.50	262.70	46.45	37.60
सितंबर-19	315.50	267.15	316.00	266.95	44.25	37.35
अक्तूबर-19	318.00	244.35	317.80	244.35	43.30	35.15
नवंबर-19	351.00	299.85	351.00	299.70	48.05	42.40
दिसंबर-19	344.35	308.10	344.35	308.00	48.20	43.90
जनवरी-20	339.85	305.70	339.85	305.65	47.60	44.00
फरवरी-20	331.90	295.50	331.90	295.35	46.05	42.00
मार्च-20	311.95	173.60	312.00	173.55	40.65	22.55

बही मूल्य प्रति शेयर ₹219.66

शेयरधारिता का विवरण 31 मार्च 2020

क्र.सं.	विवरण	कुल शेयरों का प्रतिशत %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/अन्य कॉरपोरेट निकाय/ अनिवासी भारतीय/वैश्विक निक्षेपगार रसीदें)	10.94
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	13.72
4	निजी कॉरपोरेट निकाय	1.85
5	बैंक/ वित्तीय संस्थाएं/ बीमा कंपनियां आदि	10.63
6	अन्य (निवासी व्यक्तियों सहित)	5.94
योग		**100.00**

31.03.2020 को बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र.सं.	नाम	कुल इक्विटी में शेयरों का प्रतिशत %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	भारतीय जीवन बीमा निगम - (वित्तीय संस्थान)	9.13
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	3.62
4	एसबीआई-ईटीएफ एनआईएफटी बैंक	2.83
5	रिलायंस कैपीटल ट्रस्टी कं लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	1.52
6	बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन	1.24
7	आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल म्यूचुअल फंड	1.16
8	गवर्मेंट ऑफ सिंगापुर	0.87
9	कोटक म्यूचुअल फंड	0.81
10	एनपीएस ट्रस्ट- A/c यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन योजना	0.78

शेयरों को डीमैट करना और चलनिधि: बैंक के ईक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्यत: इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जाती है।
31.03.20 को कुल ईक्विटी पूंजी का 99.13% अर्थात् 884,77,35,542 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में थे।

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत %
एनएसडीएल	12,09,094	5,29,00,75,399	59.27
सीडीएसएल	11,29,724	3,55,76,60,143	39.86
भौतिक रूप में	1,87,094	7,68,75,992	0.87
कुल	**25,25,912**	**8,92,46,11,534**	**100.00**

31.03.2020 को संवितरण सूची (अंकित मूल्य रू.1 प्रति शेयर)

शेयरों की सं. की सीमा	कुल शेयरधारक	कुल शेयधारकों का प्रतिशत %	रू. में कुल धारिता	कुल पूंजी का प्रतिशत %
1-5000	2517697	99.67	455332168	5.10
5001-10000	4288	0.17	30346751	0.34
10001-20000	1688	0.07	23570852	0.26
20001-30000	525	0.02	13057491	0.15
30001-40000	243	0.01	8542127	0.10
40001-50000	148	0.01	6770258	0.08
50001-100000	339	0.01	24458428	0.27
100001-ABOVE	984	0.04	8362533459	93.70
कुल	**2525912**	**100.00**	**8924611534**	**100.00**

अनुलग्नक I

31 मार्च 2020 को बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म तिथिः 1 अक्टूबर 1951)
श्री मल्होत्रा को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा पुनः निदेशक निर्वाचित किया गया है। वह एक सनदी लेखाकार हैं और जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त और माइक्रो एंटरप्राइज ऋण, निजी इक्विटी में वरिष्ठ पदों में वैश्विक बैंकिंग और वित्त में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है ।

श्री भास्कर प्रामाणिक

(जन्म तिथिः 20 मार्च 1951)
श्री प्रामाणिक 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया है। वह आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। श्री प्रामाणिक को भारतीय आईटी उद्योग में 45 वर्ष से अधिक का अनुभव है। बैंक के बोर्ड में शामिल होने से पहले उन्होंने भारत में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया । वह ओरेकल और सन माइक्रोसिस्टम्स के साथ प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम कर रहे थे ।

श्री बसंत सेठ

(जन्म तिथिः 16 फरवरी 1952)
श्री सेठ को 26 जून 2017 से प्रभावी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया है। वह सनदी लेखाकार हैं और उनके पास बैंकिंग और फाइनेंस में 40 साल से ज्यादा का अनुभव है, जिसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के फाइनेंसिंग शामिल हैं । बैंक के बोर्ड में शामिल होने से पहले वह केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। वह सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे । वह सिडबी और बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

श्री बी वेणुगोपाल

(जन्म तिथि- 18 मई 1959)
श्री वेणुगोपाल को 7 जून 2018 से 25 जून 2020 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक निर्वाचित किया गया है। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से कॉमर्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी में स्नातक किया है। वह भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत हुए है। उन्हें बीमा, वित्त और आईटी में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है ।

डॉ पुष्पेंद्र राय

(जन्म तिथिः 02 जून 1953)
डॉ पुष्पेंद्र राय दो वर्ष की अवधि के लिए 06 फरवरी 2020 को एसबीआई अधिनियम धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पुनः नामित निदेशक हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में करीब 38 साल का पेशेवर अनुभव है।

21 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में, वह नीति निर्धारण कार्यक्रम और बजट तैयार करना; कार्यान्वयन रणनीतियों का निर्धारण; कार्यान्वयन की निगरानी; और ग्रामीण और औद्योगिक विकास एजेंसियों, बिजली उत्पादन और वितरण विभागों, पेट्रोलियम कंपनियों और बौद्धिक संपदा कार्यालयों जैसे संस्थानों के एक विविध सेट के लिए कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार थे । उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना निदेशक-यूएनडीपी/विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के रूप में भी काम किया है; सदस्य, शासी परिषद, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान; सदस्य सचिव, विदेश निवेश संवर्धन परिषद; कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय नवीकरण कोष; डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआईपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार; और भारतीय गुणवत्ता परिषद के महासचिव।

इसके बाद, डॉ राय ने 16 वर्षों तक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (यूएन) में काम किया, तकनीकी सहयोग बढ़ाने, आईपी और परिसंपत्ति निर्माण के आर्थिक पहलुओं को बढ़ावा देने जैसी जिम्मेदारियों को संभाला; विकास एजेंडा प्रक्रिया का नेतृत्व; और सिंगापुर में एशिया प्रशांत के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व किया।

डॉ राय ने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है; हार्वर्ड विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री और दुनिया के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर व्याख्यान दिया है।

डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

(जन्म दिनांकः 20 नवंबर 1949)
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 1 फरवरी 2018 से 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के गणित की प्रोफेसर हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित में पीएचडी डिग्री प्राप्त की है और उन्होंने बीएससी (गणित) एवं एमए (गणित) दोनों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उनका मुख्य योगदान थियोरी ऑफ डोमिनेशन इन ग्राफ एंड हाइपर ग्राफ्स, ग्राफोड़ियल कवर्स एंड पार्टिशन ग्राफ्स के क्षेत्र में है।

श्री संजीव माहेश्वरी

(जन्म तिथिः 26 अगस्त, 1964)
श्री संजीव माहेश्वरी 20 दिसंबर 2019 से तीन वर्षों के लिए एसबीआई अधिनियम धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

श्री माहेश्वरी, जो पेशे से सनदी लेखाकार और इनसोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं को लेखा परीक्षा, कराधान और प्रबंधन सलाह का 33 वर्षों का अनुभव है। वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकांउटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय समिति की नौ वर्षों तक सदस्य रह चुके हैं और अकांउटिंग स्टैंडर्डस् बोर्ड ऑफ आईसीएआई के तीन वर्षों तक चेयरमैन रह चुके हैं जिस दौरान इंड एएस के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने आईसीएआई के चेयरमैन या सदस्य के रूप में अधिकांश तकनीकी समितियों को सेवाएं दी हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड के सदस्य तथा साउथ एशियन फेडेरेशन ऑफ अकांउटेंट्स के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं।

श्री देवाशीष पांडा

(जन्म : 05 जनवरी 1962)
श्री देवाशीष पांडा दिनांक 24 जनवरी 2020 से अगले आदेश तक के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निदेशक नामित किए गए हैं। श्री पांडा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। श्री देबाशीष पांडा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और उड़ीसा प्रांत के निवासी हैं। उन्होंने 23.03.2018 को वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव का पदभार ग्रहण किया और 13.12.2019 को विशेष सचिव के रूप में पदोन्नत हुए। वे भौतिकी, विकास प्रबंधन में परास्नातक हैं और पर्यावरण विज्ञान में एम.फिल की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने यूएसए तथा फिलीपींस से लोक प्रशासन में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

1987 में सरकारी सेवा ग्रहण करने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है जैसे देवरिया, टिहरी, उत्तरकाशी और गाजियाबाद के जिलाधिकारी के पद पर तथा प्रधान सचिव (गृह एवं सामान्य प्रशासन)। उन्होंने भारत सरकार में संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) और एम्स में उप निदेशक (प्रशासन) के पद पर भी कार्य किया है। वित्तीय सेवाएं विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उनके पास दिल्ली में उत्तर प्रदेश का स्थानीय आयुक्त तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का दोहरा पदभार था।

श्री चंदन सिन्हा

(जन्म दिनांकः 15 अगस्त 1957)
श्री चंदन सिन्हा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 28 सितंबर 2016 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चंदन सिन्हा सीएएफआरएएल मुंबई के अपर निदेशक हैं।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 (1) के उचित अनुपालन में 31.03.2020 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों एव लेखा-परीक्षा/ हितधारक समिति (यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्योरा

क्र. सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	बैंक सहित सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या
1.	श्री रजनीश कुमार	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग, मुंबई-400 006	07.10.2017 / 06.10.2020	अध्यक्ष : 03
2.	श्री पी.के.गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-1 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	01.11.2015 / 31.03.2020	निदेशक : 02 समिति सदस्य : 02
3.	श्री दिनेश कुमार खारा	प्रबंध निदेशक एम-II किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	09.08.2019 / 08.08.2021	निदेशक : 03 समिति सदस्य : 03
4.	श्री अरिजित बसु	प्रबंध निदेशक डी-10 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	25.06.2018 / 31.10.2020	निदेशक : 01
5.	श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी	प्रबंध निदेशक डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	20.01.2020 / 19.01.2023	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
6.	श्री संजीव मल्होत्रा	सनदी लेखाकार 6 मोटाभाई मेंशन, 130 महर्षि कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400020	26.06.2017 / 25.06.2020	निदेशक : 01 समिति के अध्यक्ष:01
7.	श्री भास्कर प्रामाणिक	आईटी व्यवसायिक 01-पी एच ई, स्काइकोर्ट लेबरनम, सुशांत लोक, सेक्टर:-28 गुरुग्राम-122002	26.06.2017 / 25.06.2020	निदेशक : 02 समिति सदस्य : 02
8.	श्री बसंत सेठ	सनदी लेखाकार फ्लैट क्र. 304, कल्पना टावर: 3/16 विष्णुपुरी, कानपुर-208002	26.06.2017 / 25.06.2020	निदेशक : 03 समिति के अध्यक्ष:01 समिति सदस्य : 02
9.	श्री बी. वेणुगोपाल	बीमा, वित्त एवं आईटी विशेषज्ञ (भूतपूर्व एमडी भारतीय जीवन बीमा निगम) फ्लैट सं.2बी, 2रा तल विंड क्लिफ, पेडर रोड मुंबई - 400 026	07.06.2018 / 25.06.2020	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 02
10.	डॉ. पुष्पेंद्र राय	विकास विशेषज्ञ (भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लोक सेवक) 50, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057	06.02.2020 / 05.02.2022	निदेशक : 01
11.	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	अकादमिशियन-गणित ए-1/2 पंचशील एनक्लेव नई दिल्ली - 110017	01.02.2018 / 31.01.2021	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01
12.	श्री संजीव माहेश्वरी	सनदी लेखाकार 622, गिरि शिखर एवं सेंटर सीएचएस लि. गोयनका हाल, जे.बी.नगर अंधेरी (पू), मुंबई - 400 059	20.12.2019 / 19.12.2022	निदेशक : 02 समिति के अध्यक्ष:01 समिति सदस्य : 02
13.	श्री देवाशीष पांडा भारत सरकार के नामित	सचिव (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग डिवीजन), जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001	24.01.2020 / अगले आदेश तक	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01
14.	श्री चंदन सिन्हा भारतीय रिजर्व बैंक नामित	अतिरिक्त निदेशक सीएएफआरएएल,भारतीय रिजर्व बैंक , सी-8, 8वां तल,बांद्रा कुर्ला परिसर बांद्रा (पू), मुंबई - 400051.	28.09.2016 / अगले आदेश तक	निदेशक : 01 समिति सदस्य :01

अनुलग्नक-II ए

31.03.2020 को निदेशकों द्वारा बैंकों/ अन्य कंपनियों की बोर्ड / बोर्ड स्तरीय समितियों में धारित अध्यक्षता/ सदस्यता का ब्योरा

1. श्री रजनीश कुमार

क्र.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष बोर्ड की वसूली निगरानी समिती - अध्यक्ष
2	एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
3	एसबीआई जेनेरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	--
4	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	--
5	एसबीआई कैपिटल मार्केटस् लिमिटेड	अध्यक्ष	--
6	एसबीआई कार्डस एवं पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड	अध्यक्ष	--
7	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	निदेशक	--
8	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान	सदस्य, शासी बोर्ड (गवर्निंग बोर्ड)	--
9	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे	सदस्य गवर्निंग बोर्ड	एनआईबीएम वित्त समिति - अध्यक्ष एनआईबीएम स्टैंडिंग समिति - सदस्य
10	भारतीय बैंक संघ	अध्यक्ष, प्रबंधन समिति	भारतीय बैंक संघ की कानूनी एवं बैंकिंग परिचालनों पर स्टैंडिंग समिति - अध्यक्ष
11	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	सदस्य	--
12	इंडियन इंस्टीट्यट ऑफ बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस	निदेशक /अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल	--
13	मैनेजमेंट डेव्लपमेंट इंस्टीट्यूट	सदस्य, गवर्नर बोर्ड	--
14	ईसीजीसी लि.	निदेशक, गवर्नर बोर्ड	--
15	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लि. (एनसीजीटीसी)	निदेशक (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--
16	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेशी व्यापार महानिदेशालय	व्यापार बोर्ड - सदस्य	--
17	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	वित्तीय समावेशन फंड (एफआईएफ) परामर्श बोर्ड - सदस्य	--
18	नैशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	गवर्निंग काउंसिल- सदस्य	--
19	महाराष्ट्र सरकार	फिंटेक के माननीय मुख्य मंत्री के परामर्श काउंसिल - सदस्य	--
20	स्विफ्ट यूजर ग्रुप इन इंडिया - स्विफ्ट	अध्यक्ष (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--
21	लघु एवं मध्यम उद्यम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएसएमई) - भारत सरकार	सदस्य - सलाहकार बोर्ड (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--
22	क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग (सीआरजीएफटीएलआईएच)	सदस्य- बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--
23	सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोपरेशन एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर बैंकिंग (सीआईसीटीएबी), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य- गवर्निंग कौंसिल (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में) सदस्य- प्रबंधन समिति (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--
24	क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया	सदस्य गवर्निंग कौंसिल (पदेन आईबीए के अध्यक्ष के रूप में)	--

2. श्री पी.के.गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) का/के नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बड़ी :मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी करने के लिए बोर्ड की धोखाधड़ी समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	--
3	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	एसबीआई फाउंडेशन की कार्यकारी समिति-सदस्य सीएसआर समिति - सदस्य
4	एसबीआई जनरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य पॉलिसीधारक संरक्षण समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-सदस्य बैंक एश्योरेंस समिति-सदस्य
5	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	सदस्य	एनसीडीसी सामान्य परिषद -सदस्य
6	भारत सरकार, पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	सदस्य	जल एवं स्वच्छता सेक्टर में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण पर अध्ययन समिति (वाश)

3. श्री दिनेश कुमार खारा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) का/के नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की आईटी स्ट्रेटजी समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
3	एसबीआई लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य निवेश समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य पॉलिसीधारक संरक्षण समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य बोर्ड की लाभ समिति- सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-सदस्य सुरक्षा समिति - सदस्य
4	एसबीआई कैपिटल मार्केटस लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य निदेशक समिति-अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य
5	एसबीआई कैप सिक्योरिटिज प्रा. लि.	निदेशक	--
6	एसबीआई कैप वेंचर लि.	निदेशक	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-अध्यक्ष
7	एसबीआई कैप (यूके) लि.	निदेशक	--
8	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	निदेशक	--
9	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	अध्यक्ष	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य मानव संसाधन समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
10	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	--

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
11	एसबीआई फंडस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	शेयर आबंटन एवं मानव संसाधन समिति - सदस्य
12	एसबीआई जेनेरल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य पालिसी धारक संरक्षण समिति-अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति-अध्यक्ष निवेश समिति - अध्यक्ष बैंक एश्यूरेंस समिति- अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-सदस्य
13	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	अध्यक्ष	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
14	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट प्रा.लि.	अध्यक्ष	-
15	एसबीआई पेंशन फंडस प्राइवे' लिमिटेड	अध्यक्ष	-

4. श्री अरिजित बसु

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवासमिति- सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य

5. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति- अध्यक्ष
2	एसएएसएफ ट्रस्ट	अध्यक्ष	--

6. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-अध्यक्ष बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति
2	कोटक महेन्द्रा आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	निदेशक	--
3	फेयर फस्ट इन्शोरेंस लिमिटेड (श्रीलंका)	निदेशक	--
4	प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन	निदेशक	--

7. श्री भास्कर प्रामाणिक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति-अध्यक्ष बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति
2	टीसीएनएस क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य प्रौद्योगिकी समिति-अध्यक्ष

8. श्री बसंत सेठ

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष बोर्ड की जोखिम् प्रबंधन समिति-सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-अध्यक्ष बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति- अध्यक्ष बोर्ड की वसूली निगरानी समिति-सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2	रोटो पंप्स लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति-सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
3	एकांउटस स्कोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
4	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स)	निदेशक	जोखिम समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति -सदस्य निवेश सरंक्षण निधि समिति-सदस्य निवेश समिति सदस्य
5	धर्मपाल सत्यपाल लि.	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य
6	डीएस कनफेक्शनरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि.	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य

9. श्री बी.वेणुगोपाल

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य लेखापरीक्षा समिति-सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी रणनीति समिति - सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति - संबंध कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य
2	नैशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड	निदेशक	--

10. डॉ. पुष्पेंद्र राय

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	--

11. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी रणनीति समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति-सदस्य हितधारक संबंध समिति-सदस्य बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य वसूली निगरानी हेतु बोर्ड की समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति-सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य

12. श्री संजीव माहेश्वरी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी रणनीति समिति - सदस्य बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति-सदस्य बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति- सदस्य हित धारक संबंध समिति-सदस्य बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड की समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/ असहयोगी लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2	कमादगिरि फैशन लि	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति- सदस्य
3	ट्रस्ट एएमसी ट्रस्टी प्रा.लि.	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - सदस्य
4	मुद्रा शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लि.	निदेशक	-

13. श्री देवाशीष पांडा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य वसूली की निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	निदेशक	--
3	आईआरडीएआई	निदेशक	--

14. श्री चंदन सिन्हा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/ सोसाइटी का नाम	अध्यक्ष/निदेशक/ सदस्य	समिति (यों) के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य

(नोटः केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में वे सभी निदेशक या अन्य कोई निदेशक शामिल हैं जो सामान्यतः भारत में ऐसे किसी स्थान पर निवास करते हैं, या उस समय उपस्थित रहते हैं जहाँ एसबीआई साधारण विनियम के विनियम 46 के अनुसार ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है।)

अनुलग्नक - III

31.03.2020 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्री रजनीश कुमार	3,000
2	श्री पी. के. गुप्ता	4,900
3	श्री दिनेश कुमार खारा	3,100
4	श्री अरिजित बसु	710
5	श्री चल्ला श्रीनिवास शेट्टी	500
6	श्री संजीव मल्होत्रा	15,400
7	श्री भास्कर प्रामाणिक	10,000
8	श्री बसंत सेठ	5,000
9	श्री बी वेणुगोपाल	5,000
10	डॉ. पुष्पेंद्र राय	0
11	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	0
12	श्री संजीव माहेश्वरी	0
13	श्री देवाशीष पांडा	0
14	श्री चंदन सिन्हा	500

अनुलग्नक IV

वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठक	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री संजीव मल्होत्रा	8,50,000.00	15,55,000.00	24,05,000.00
2	श्री भास्कर प्रामाणिक	7,30,000.00	14,35,000.00	21,65,000.00
3	श्री बसंत सेठ	8,50,000.00	9,60,000.00	18,10,000.00
4	श्री बी वेणुगोपाल	6,60,000.00	17,80,000.00	24,40,000.00
5	डॉ. गिरीश के. आहूजा	4,90,000.00	4,20,000.00	9,10,000.00
6	डॉ. पुष्पेंद्र राय	6,40,000.00	9,05,000.00	15,45,000.00
7	डॉ. पूर्णिमा गुप्ता	8,50,000.00	9,10,000.00	17,60,000.00
8	श्री संजीव माहेश्वरी	3,50,000.00	3,60,000.00	7,10,000.00
9	श्री चंदन सिन्हा	7,00,000.00	11,20,000.00	18,20,000.00

अनुलग्नक V

बैंक की आचार संहिता (2019-20) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2019-20 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम वर्ष 2019-20 के लिए रोकथाम, निषेध और निवारण स्थिति

वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	9
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	44
मामलों की कुल संख्या	53
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	43
वर्ष के अंत में लबित मामलों की संख्या	10

31 मार्च 2020 को बोर्ड का हिस्सा रहे निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं का विवरण इस प्रकार है-

क्र. सं.	नाम	योग्यता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं
1	श्री रजनीश कुमार अध्यक्ष	एम.एससी. (भौतिकी)	बैंकिंग के विभिन्न संप्रभाग जैसे रिटेल, कॉर्पोरेट निवेश, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, अनुपालन एवं जोखिम, मध्य कॉर्पोरेट समूह आदि का अनुभव।
2	श्री पीके गुप्ता प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)	बी.कॉम. कंपनी सचिव, आईसीएसआई, (नई दिल्ली)	वह रिटेल और डिजिटल बैंकिंग का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें अनुपालन और जोखिम, ट्रेजरी परिचालन के क्षेत्रों का अनुभव है। वह बैंक के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी रहे हैं।
3	श्री दिनेश कुमार खारा प्रबंध निदेशक (ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)	एम.कॉम. एमबीए	उन्हें वाणिज्यिक बैंकिंग सहित रिटेल क्रेडिट, लघु एवं मध्यम उद्यम/कॉर्पोरेट क्रेडिट, जमा मोबिलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन, शाखा प्रबंधन क्षेत्र के कार्य का अनुभव है।
4	श्री अरिजित बसु प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह और आईटी)	बीए (अर्थशास्त्र) एमए (इतिहास)	उन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नेतृत्व किया है। उन्हें कॉर्पोरेट बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और मानव संसाधन के क्षेत्र में अनुभव है और वे बैंक द्वारा शुरू की गई व्यावसायिक प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग पहल का भी हिस्सा रहे हैं।
5	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी प्रबंध निदेशक (दबावग्रस्त आस्तियां)	बी.एससी. (कृषि)	उन्हें विकसित बाजारों में कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिटेल बैंकिंग और बैंकिंग का समृद्ध अनुभव है। श्री शेट्टी बैंक के दबावग्रस्त आस्तियां समाधान समूह का नेतृत्व कर रहे थे । वह रिटेल और डिजिटल बैंकिंग की कार्य देखेंगे।
6	श्री संजीव मल्होत्रा	चार्टर्ड अकाउंटेंट	ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंस, जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट एवं निवेश बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस एंड माइक्रो एंटरप्राइज लेंडिंग, प्राइवेट इक्विटी में 40 से ज्यादा वर्षों का अनुभव।
7	श्री भास्कर प्रामाणिक	बी.टेक, आईआईटी (कानपुर)	उन्हें भारतीय आईटी उद्योग में 45 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारत में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह ओरेकल और सन माइक्रोसिस्टम्स के साथ प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं।
8	श्री बसंत सेठ	चार्टर्ड अकाउंटेंट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वित्तपोषण और प्रशासनिक मामलों सहित बैंकिंग और वित्त में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव। बैंक के बोर्ड में शामिल होने से पहले वह केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। वह सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। वह सिडबी और बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ पदों पर भी अपनी सेवाएं कर चुके हैं।
9	श्री बी वेणुगोपाल	उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से कॉमर्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी में ग्रेजुएशन किया है।	बीमा, वित्त और आईटी में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव। वह भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के पद से रिटायर हुए हैं।
10	डॉ पुष्पेंद्र राय	उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से पोस्टग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है।	उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से पोस्टग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने 21 साल से अधिक समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना निदेशक-यूएनडीपी/विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ); सदस्य, शासी परिषद, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, सदस्य सचिव, विदेशी निवेश संवर्धन परिषद, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय नवीकरण कोष, डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआईपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद के महासचिव के रूप में भी काम किया है। इसके बाद डॉ राय ने 16 साल तक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा (यूएन) में काम किया।
11	डॉ पूर्णिमा गुप्ता	एमए (गणित) और गणित में पीएचडी	वह दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित की प्रोफेसर थीं। उनका मुख्य योगदान ग्राफ और हाइपर ग्राफ, ग्राफोडियल कवर और विभाजन ग्राफ में वर्चस्व के सिद्धांत में रहा है।

क्र. सं.	नाम	योग्यता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं
12	श्री संजीव माहेश्वरी	आईसीएआई से चार्टर्ड अकाउंटेंट	लेखा-परीक्षा, कराधान और प्रबंधन परामर्श के क्षेत्र में विस्तृत अनुभव।
13	श्री देवाशीष पांडा	भौतिकी, विकासात्मक प्रबंधन में स्नातकोत्तर और पर्यावरण विज्ञान में एमफिल की डिग्री प्राप्त की	श्री देवाशीष पांडा 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं।
14	श्री चंदन सिन्हा	भौतिकी में पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए (फाइनेंस)।	बैंकिंग एवं वित्त, अतिरिक्त निदेशक, सीएएफआरएल-आरबीआई।

नीचे दी गई तालिका में एसबीआई अधिनियम 1955 और आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा पहचान की गई प्रमुख विशेषताओं और कौशल मैट्रिक्स को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर निदेशक का चयन करते समय विचार किया जाना है:

1. **उद्योग ज्ञान/अनुभव:** उद्योग अनुभव, क्षेत्र का ज्ञान, व्यापक नीतिगत मामलों का ज्ञान, सरकारी विधि/विधायी प्रक्रिया की समझ
2. **तकनीकी कौशल/अनुभव:** लेखांकन, वित्त, कानून, विपणन अनुभव, सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क, पूंजी आवंटन, लागत, बजटीय नियंत्रण, रणनीति विकास और कार्यान्वयन।
3. **गवर्नेंस दक्षताएं:** पूर्व निदेशक अनुभव, वित्तीय साक्षरता, अनुपालन फोकस, रणनीतिक सोच/शासन के नजरिए से योजना।
4. **निदेशक के लिए आरबीआई और एसबीआई की योग्यता:** इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में विशेषज्ञता। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव अर्थात्-(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहयोग, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग, (8) किसी अन्य क्षेत्र का विशेष ज्ञान और अनुभव, जो रिजर्व बैंक की राय में भारतीय स्टेट बैंक के लिए उपयोगी होगा। जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

	विशेषताएँ			
निदेशक	**उद्योग ज्ञान/ अनुभव**	**तकनीकी कौशल/ अनुभव**	**शासन दक्षता**	**निदेशक के लिए आरबीआई और एसबीआई योग्यता**
श्री रजनीश कुमार	✓	✓	✓	✓
श्री पी के गुप्ता	✓	✓	✓	✓
श्री दिनेश कुमार खारा	✓	✓	✓	✓
श्री अरिजित बसु	✓	✓	✓	✓
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव मल्होत्रा	✓	✓	✓	✓
श्री भास्कर प्रामाणिक	✓	✓	✓	✓
श्री बसंत सेठ	✓	✓	✓	✓
श्री बी. वेणुगोपाल	✓	✓	✓	✓
डॉ. पुष्पेंद्र राय	✓	✓	✓	✓
डॉ.पूर्णिमा गुप्ता	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव माहेश्वरी	✓	✓	✓	✓
श्री देवाशीष पांडा	✓	✓	✓	✓
श्री चंदन सिन्हा	✓	✓	✓	✓